

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद

संख्या- 576

दिनांक- 03/03/2024

प्रबंधक,

इम्पीरियल स्कूल आफ लर्निंग भुली, झारखण्ड मोड़, धनबाद।

विषय:- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के अधीन विद्यालय के लिए प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा दिनांक 15.10.2019 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात हुए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जिला प्रारम्भिक शिक्षा समिति की दिनांक 01.03.2021 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में इम्पीरियल स्कूल आफ लर्निंग भुली, झारखण्ड मोड़, धनबाद को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से कक्षा 01 से 08 तक के लिए मान्यता प्रदान की जाती है।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

1. इस मान्यता में किसी भी रूप से कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबन्धों को पूर्ण रूपेण पालन करेगा।

3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा से उस कक्षा में बालक/बालिकाओं कि संख्या 25 प्रतिशत तक का आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक उपलब्ध करेगा।

4. उक्त कंडिका 3 में उल्लेखित बालक/बालिकाओं के लिए, विद्यालय को अधिनियम कि धारा 12 कि उपधारा (2) के उपबन्धों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।

5. विद्यालय किसी भी प्रकार के बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा। और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक/बालिका या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।

6. विद्यालय किसी बालक/बालिका को उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन किया जायेगा।

7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(i) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक/बालिका को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,

J. Singh

Manager
Imperial School of Learning
Bhuli, Dhanbad

S. R. Singh

Principal
Imperial School of Learning
Bhuli (Dhanbad)